अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा.का.नि.158(अ).-मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड अधिनियम , 1986 (1986 का 10) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मसाला बोर्ड (गुणवत्ता चिह्नांकन) विनियम, 1992 का और संशोधन करने केलिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1.(1) ये विनियम मसाला बोर्ड (गुणवत्ता चिह्नांकन) संशोधन विनियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मसाला बोर्ड (गुणवत्ता चिह्नांकन) विनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है), विनियम 3 के उप-विनियम (12) में, "अध्यक्ष " शब्द के स्थान पर "सचिव " शब्द रखा जाएगा।

(i) विनियम 5 के उप-विनियम (5) में "अध्यक्ष " शब्द के स्थान पर "सचिव " शब्द रखा जाएगा।

(ii) उक्त विनियम के विनियम 6 में, -

(क) खंड (v) केलिए, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(v) बोर्ड के दो अधिकारियों के दल द्वारा रिपोर्ट की गई सुविधाओं की पर्याप्तता का निर्णय करने केलिए विशेषज्ञ-पैनल का गठन निम्नानुसार होगा, अर्थात् :-

1	निदेशक अथवा उप सचिव स्तर का अधिकारी, मसाला बोर्ड	अध्यक्ष
2	सचिव द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट निदेशक (विपणन), मसाला बोर्ड अथवा मसाला बोर्ड के विपणन विभाग से कोई अन्य अधिकारी	सदस्य
3	सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट मसाला बोर्ड का एक वैज्ञानिक	सदस्य
4	संबंधित निर्यात निरीक्षण अभिकरण का एक प्रतिनिधि	सदस्य
5	विपणन और निरीक्षण निदेशालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य

पैनल केलिए कोरम तीन सदस्यों का होगा। "

(ख) खंड (vii) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर " सचिव" शब्द रखा जाएगा।

[फा.सं.5/10/2016-बागान-डी]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल विनियम संख्या सा. का. नि. 73(अ) तारीख: 31 जनवरी,1992 द्वारा प्रकशित किया गया था और संख्या एम डी/गुणवत्ता/लॉगो/01/09, तारीख: 22 सितंबर, 2009 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

G.S.R. 158(E).—In exercise of the powers conferred by section 39 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), the Spices Board hereby makes the following regulations further to amend the Spices Board (Quality Marking) Regulations, 1992, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Spices Board (Quality Marking) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Spices Board (Quality Marking) Regulations, 1992 (hereinafter referred to as the said regulations), in sub-regulation (12) of regulation 3, for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.

3. In sub-regulation (5) of regulation 5, for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.

4. In regulations 6 of the said regulation,-

(a) for clause(v), the following clause shall be substituted, namely:-

"(v) The following shall be the composition of the Panel of experts for adjudging adequacy of the facilities as reported by the team of the two officers of the Board, namely :-

1	Director or Deputy Secretary level officer, Spices Board	: Chairman
2	Director (Marketing), Spices Board or any other officer from the Marketing Department of the Spices Board, as nominated by the Secretary.	: Member
3	A scientist of Spices Board nominated by Secretary.	: Member
4	A representative of the concerned Export Inspection Agency.	: Member
5	A representative of Directorate of Marketing and Inspection	: Member

The quorum for the panel shall be three."

(b) in clause(vii), for the word "Chairman", the word "Secretary" shall be substituted.

[F. No. 5/10/2016-Plant-D]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note:- The principal regulations were published *vide* number GSR.73 (E) dated the 31st January, 1992 and last amended *vide* number MD/QLTY/LOGO/01/09 dated the 22nd September, 2009.